न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–85 / 19 (2019 / 00150) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–रामेश्वर मु0 उदा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–सोवनी पुत्री उदा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–हेमराज आत्मज रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–मोहन आत्मज रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–हीरालाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–सोहनलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–लहरूलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–देवीलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–बदाम पुत्री चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–जमना पुत्री चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–हंजा पुत्री चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–सुवालाल आत्मज हजारी सुथार निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11–लच्छीराम आत्मज हजारी सुथार निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12–हीरालाल आत्मज हजारी सुथार निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13–मांगु आत्मज किशोर जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14–लोभचन्द्र आत्मज किशोर जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.03.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीथाकाखेड़ा पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 553 रकबा 0.26 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 145 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सवंत 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम पीथाकाखेड़ा से आमेट जाने वाली सड़क से होते हुए आगे सड़क के दक्षिणी ओर स्थित विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14 की आराजी संख्या 558 की पूर्वी पाली पर स्थित 30 फीट चोड़े रास्ते से होते हुए आगे विपक्षीगण संख्या 10 लगायत 12 की आराजी संख्या 560 की पूर्वी पाली पर होते हुए अपनी खातेदारी आराजी में प्रवेश करते है इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय के आवागमन करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मोजुद नही है। जिससे यह रास्ता प्रार्थीगण के लिये अत्यधिक आवश्यकता का रास्ता है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 553 में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो ग्राम पीथाकाखेड़ा से आमेट जाने वाली सड़क से होते हुए आगे सड़क के दक्षिणी ओर स्थित विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14 की आराजी संख्या 558 के उत्तरी पूर्वी कोने से प्रवेश कर उक्त आराजी की पूर्वी पाली पर होते हुए आगे विपक्षीगण संख्या 10 लगायत 12 की

आराजी संख्या 560 की पूर्वी पाली पर 30 फीट चोड़ाई मे है। को बिलानाम गेमु रास्ता दर्ज कराने का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण के प्रदान कराया जावें एवं उक्त रास्ता मोके पर नही खोले जाने पर तहसीलदार रायपुर को इसकी पालना हेतु आदेशित फरमाया जाकर रास्ते को सदैव खुलासा रखने हेतु विपक्षीगण को पांबद फरमाया जावें तथा रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 20.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 व 13, 14 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तथा विपक्षी संख्या 10 लगायत 12 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 10 लगायत 12 ने अपने जवाब मे अंकन किया कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 553 मे आने जाने का रास्ता विपक्षीगण जवाबदाता की आराजी नम्बर 560 मे से होकर नही जाता है बल्कि प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 553 पर आने जाने का रास्ता आराजी नम्बर 546 जो गांव की आबादी पीथाकाखेड़ा से होकर आ रहा है, उक्त रास्ते से सटमा प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 555 है जिससे उक्त रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ आराजी नम्बर 946/554 से होकर अपनी आराजी नम्बर 553 में आ जा सकता है उक्त रास्ता सरल एवं सुगम है, जिससे खातेदारान की भूमि नष्ट नही होगी व विपक्षीगण जवाबदाता की आराजी नम्बर 560 रकबा 0.31 है0 है जिससे 07 बिस्वा भूमि बाड़े के रूप में दर्ज है व शेष 0.24 है0 भूमि कृषि कार्य हेतु बचती है व विपक्षीगण जवाबदाता जो कि 3 भाई होने से प्रत्येक के हिस्से 0.08 है0 भूमि आती है जिसमें रास्ता निकल जाने पर विपक्षीगण जवाबदाता के कृषि कार्य हेतु भूमि नही रहेगी व विपक्षीगण जवाबदाता का कृषि कार्य करना मुश्किल हो जायेगा। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु रेकार्डेड व सीधा व सरल सुगम रास्ता होने से प्रार्थीगण विपक्षीगण जबावदाता कि भूमि से कोई रास्ता पाने का अधिकारी नही है। ओर अतिरिक्त कथन के रूप में उक्त जवाब को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि वादीगण ने ग्राम पीथाकाखेड़ा की सीमा में स्थित खातेदारी आराजी नम्बर 553 रकबा 0.26 है0 में आवागमन हेतु रास्ता का वाद पेश किया है। आराजी नम्बर 553 के समीप वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही है ओर न ही नक्शे में दर्ज है। वादीगण की आराजी नम्बर 553 में जाने हेतु प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 558 व 560 मे से रास्ता हेतु आवेदन किया है। आराजी नम्बर 558 ग्राम पीथाकाखेड़ा की आबादी में स्थित सड़क के किनारे 4.5 मीटर (लगभग 15 फीट) का रास्ता मोके पर छोड़ा हुआ है जिसके दोनो तरफ पत्थर की दीवार होकर बाड़े बने हुए है रास्ते को सड़क के किनारे से पटी–फर्शी के टुकड़े लगा रखे है। आराजी नम्बर 560 का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है एवं रास्ता बना हुआ नही है मोके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य रास्ता नक्शे में दर्ज नही है। मोके पर वादीगण अपनी आराजी नम्बर 553 में आने जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा ग्राम पीथाकाखेड़ा से बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 546 से अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 555 में होकर आराजी नम्बर 946/554 की पश्चिमी मेड़ पर होकर आ जा रहे है लकिन मोके पर उक्त नम्बरान में राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नही है। वादीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 30 फीट चोड़ाई में मांगने पर आराजी नम्बर 558 रकबा 0.04 है0 में से 0.02 है0 एवं आराजी नम्बर 560 रकबा 0.30 है0 मे से 0.09 है0 कुल 0.11 है0 भूमि रास्ते की बनती है। वादीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से एवं वैकल्पिक रास्ते को ब्लयु स्याही से दर्शाया गया है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता को कराया गया तथा बहस सुनी गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट व उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु चाहा गया है जो काफी लम्बी दुरी का है जिसमें रास्ते का रकबा 0.11 है0 बनता है। विपक्षी अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी संख्या 553 में आने जाने हेतु पीथाकाखेड़ा का आम रास्ता जो आराजी नम्बर 546 मे दर्ज है उसी आम रास्ते से लगती हुई प्राथीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 555 स्थित है जिसकी दक्षिणी मेड़ पर होता हुआ आराजी संख्या 946 / 554 की पश्चिमी मेड़ से होता हुआ आराजी नम्बर 553 के उत्तरी पूर्वी कोने से प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 553 में पहुंच सकता है। इस रास्ते को तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट में ब्लयु स्याही से दर्शाते हुए प्रार्थी का आवागमन होना दर्शाया गया है जो प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पहुंच का सरकारी आम रास्ते से नजदीक दुरी का रास्ता है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता नजदीक दुरी का नही होकर उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए चाहा जाना प्रतीत होता है। मूल रूप से धारा 251ए की मंशा भी यही है कि खातेदार को सरकारी आम रास्ते से न्युनतम दुरी तय करते हुए पंहुच का रास्ता दिया जावे ताकि अनावश्यक किसी पक्षकार को नुकसान नही हो तथा प्रार्थी को भी सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ते को दिया जाना उचित नही होकर वैकल्पिक रास्ता दिया जाना जो मोके पर चालु है उसको बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए आशिंक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया वैकल्पिक रास्ता जो ग्राम पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 546 से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 555 के दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 946 / 554 रकबा 0.17 है0 मे से 0.01 है0 भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त बिलानाम रास्ते के बदले में भूमि कीमत के रूप में डीएलसी दर अनुसार 0.01 है0 भूमि का 3794 रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि 7588 रू. मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 946 / 554 रकबा 0.17 है0 मे से 0.01 है0 भूमि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 553 में प्रवेश करने तक की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.03.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—85 / 19 (2019 / 00150) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामेश्वर मु0 उदा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सोवनी पुत्री उदा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—हेमराज आत्मज रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मोहन आत्मज रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—हीरालाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सोहनलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लहरूलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—देवीलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—बदाम पुत्री चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—जमना पुत्री चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—हंजा पुत्री चम्पा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—सुवालाल आत्मज हजारी सुथार निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—लच्छीराम आत्मज हजारी सुथार निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—हीरालाल आत्मज हजारी सुथार निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—मांगु आत्मज किशोर जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—लोभचन्द्र आत्मज किशोर जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए आशिंक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया वैकल्पिक रास्ता जो ग्राम पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 546 से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 555 के दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 946 / 554 रकबा 0.17 है0 मे से 0.01 है0 भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त बिलानाम रास्ते के बदले में भूमि कीमत के रूप में डीएलसी दर अनुसार 0.01 है0 भूमि का 3794 रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि 7588 रू. मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 946 / 554 रकबा 0.17 है0 मे से 0.01 है0 भूमि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 553 में प्रवेश करने तक की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

19.03.2020

(सुन्दरलाल, बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 16:08:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: